दिनांक 28.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 40/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

UPSIFS में "वर्टिकल इन्टेरेक्शन कोर्स" का पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा किया गया शुभारम्भ

अपराधिक विषय पर कार्य करने के लिए लॉ, टेक्नोलोजी और फॉरेंसिक का ज्ञान जरुरीः **राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0**

संस्थान की प्रगति उसके लीडरशिप पर निर्भर करती है :**पुलिस महानिदेशक**, **उ0प्र0**

आज दिनॉकः 28.07.2025 को उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिर्सच एन्ड डेवलपमेन्ट भारत सरकार के सौजन्य से आयोजित वर्टिकल इन्टेरेक्शन कोर्स का शुभारम्भ किया गया। शुभारम्भ कार्यक्रम के **मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्णा** एवं **अति विशिष्ट अतिथि** बीपीआर एन्ड डी के एडीजी **श्री जोसेफ आर.के. लोक्कू** रहें, जिन्हें संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉ जी.के.गोस्वामी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** द्वारा प्रशिक्षण हेतु तैयार एडवांस डिजिटल डाईगनोंस्टिक कक्ष का उद्घाटन भी किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने सभागार में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपराधिक विषय पर कार्य करने के लिए हमें तीन बेसिक विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। जिसमे पहला है कानून, दूसरा टेक्नोलोजी और तीसरा फॉरेंसिक। आज जिस कोर्स का यूपीएसआईएफएस में शुभारम्भ हुआ है उसमे यह विषय समाहित हैं। उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह संस्थान बहुत ही कम समय में क्रियाशील होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ दिनों–दिन बढ़ रहा है यह अपने आप में एक मिशाल है क्योकि किसी भी संस्थान की प्रगति उसके लीडरशिप पर निर्भर करती है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि साइबर अपराधी बहुत तेजी से टेक्नोलोजी का प्रयोग कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं इस कारण हमारे पुलिस के सभी स्तर को प्रशिक्षण एवं

दक्ष करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमे गतिमान होकर साइबर तकनीकी को अधिक से अधिक जानना होगा तभी हम साइबर अपराधियों से लड़ पायेगे और अपने अधीनस्थ कर्मियों को गाइड कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब युद्व धरातल पर नहीं हो रहे हैं बल्कि साइबर दुनिया में हो रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों से कहा कि आप यहां से ज्ञान लेकर जाये और अपने सिस्टम में तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करे, जिससे आमजन मानस और पुलिसिंग के लिए ज्ञान वर्धक हो सके।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री रवि जोसेफ लोक्कू अपर पुलिस महानिदेशक बीपीआर एन्ड डी ने कहा कि यह संस्थान सेन्ट्रल संस्थानों के बराबर में खड़ा हो रहा है, जिसके कम समय में तीब्र विकास के लिए डॉ0 जी0के0गोस्वामी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलोजी को हम अपराध कें नियंत्रण में कैसे प्रयोग कर सकते हैं ? सीखने और समझने के लिए यह संस्थान हमें महत्वपूर्ण अवसर दे रहा है।

इस अवसर पर संस्थापक निदेशक डॉ0 जी0के0 गोस्वामी ने संस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में संस्थान में हमने बीपीआर एन्ड डी के सहयोग से दो कोर्स लांच किये हैं, जिसमे पुलिस अधिकारियों के लिए पहले कोर्स कि शुरुआत आज से की गयी है । उन्होने यह भी कहा कि हमारा फोकस "लॉ विद लैब" पर विशेष रूप से है क्योकि जब तक कानून विशेषज्ञ को तकनीकी विषयों की जानकारी नहीं होगी और वैज्ञानिकों को कानून की जानकारी नहीं होगी तब तक इस क्षेत्र की सम्पूर्णता हो ही नहीं सकती। उन्होंने पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक बीपीआर एन्ड डी के एडीजी का विशेष आभार प्रकट करते हुये कहा कि यह हमारे संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि आज पहली बार हम सैन्य अधिकारियों के बाद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को साइबर एवं फॉरेंसिक विषयों पर प्रशिक्षण देने जा रहे हैं।

इस अवसर पर अपर निदेशक श्री राजीव मल्होत्रा ने सभागार में बैठे समस्त अधिकारियों फैकलिटीज एवं आईपीएस प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया । इस अवसर पर यूपीएसआईएफएस के अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजिव मुखर्जी, श्री अतुल यादव, श्री विवेक कुमार, जनसंपर्क अधिकारी श्री संतोष कुमार तिवारी प्रतिसार निरीक्षक श्री बृजेश सिंह, फैकल्टीज डॉ श्रुति दास, श्री चन्द्रमोहन सिंह, श्री गिरिजेश राय, डॉ सपना शर्मा, डॉ नेहा, डॉ निताशा एवं कार्तिकेय, सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

Uttar Pradesh
INAUGRAL
VERTICAL
WITH BEST WISHES
UPSIFS, LUCKNOW
UPSIFS

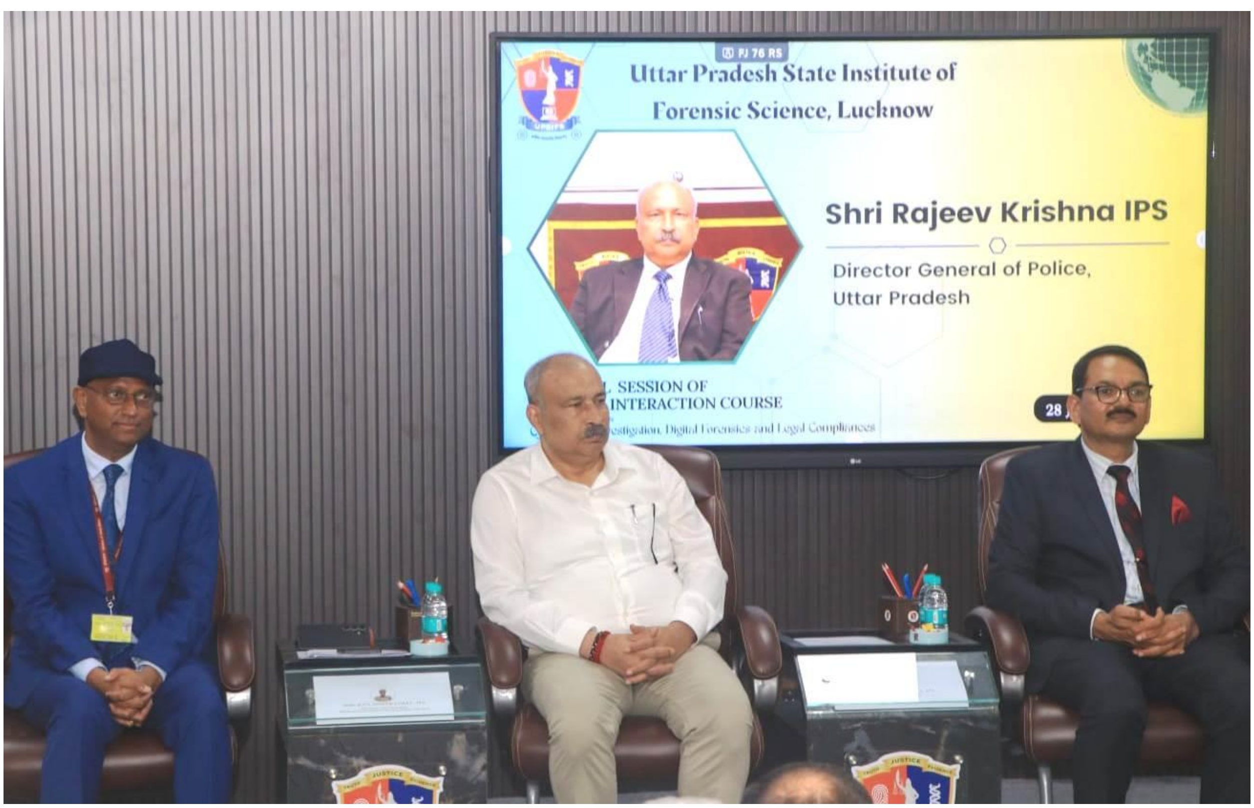
Uttar Pradesh State Institute of
Forensic Science, Lucknow
Shri Rajeev Krishna IPS
Director General of Police,
Uttar Pradesh
SESSION OF
INTERACTION COURSE
Investigation, Digital Forensics and Legal Compliances

Uttar Pradesh State Institute of Forensic Science, Lucknow
Shri Rajeev Krishna IPS
Director General of Police
Uttar Pradesh
INAUGURAL SESSION OF
VERTICAL INTERACTION COURSE
28 July 2025
UPSIFS
UPSIFS

WELCOME
TO THE ESTEEMED
IPS OFFICERS
for
VERTICAL
INTERACTION
COURSE
(VIC)-2025
Date: 28th July - 1st August 2025
Hosted by:

दिनांक 28.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 41/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>एसटीएफः बिहार के जनपद बेगूसराय, आदि क्षेत्रों में हत्या, डकैती/लूट, रंगदारी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाला कुख्यात अपराधी एवं हत्या के अभियोग में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी डब्लू यादव एसटीएफ के साथ हुई साहसिक मुठभेड में घायल, इलाज के दौरान मृत घोषित।</u>

दिनांकः 27/28–07–2025 की रात्रि मे, जनपद हापुड, उ0प्र0 के थाना सिम्भावली क्षेत्र में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं जनपद हापुड तथा बिहार पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान हुई एक साहसिक मुठभेड़ के बिहार के जनपद बेगूसराय आदि क्षेत्रों में हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाला एवं हत्या के अभियोग में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी डब्लू यादव घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

<u>अभियुक्त का विवरणः–</u>

डब्लू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव निवासी ग्राम ज्ञानटोला, थाना साहेबपुर कमाल, जनपद बेगूसराय, बिहार।

<u>अभियुक्त से बरामदगीः</u>

1– 01 अदद कारबाईन 9एमएम मय 02 अदद मैगजीन।

2– 13 अदद जिन्दा कारतूस 9एमएम,

3– 05 अदद खोखा कारतूस 9एमएम,

4– 01 अदद पिस्टल 32 बोर मय 02 अदद मैगजीन,

5– 07 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर,

5– 06 अदद खोखा कारतूस 32 बोर,

6– 01 अदद तमंचा 315 बोर,

7– 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर,

8– 01 अदद मोटर साईकिल (स्पलेन्डर) (बिना नम्बर प्लेट)

9– 01 अदद पिठ्टू बैंक (रंग काला)

<u>घटनास्थल का दिनांक समय/ स्थानः–</u>

दिनांक 27/28–07–2027 समय लगभग 23.55 बजे, बडडा नहर पुल के पास थाना सिम्भावली, जनपद हापुड क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि बिहार पुलिस के द्वारा एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवगत कराया गया कि रूपया 50,000/— का ईनामी अपराधी डब्लू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव निवासी ग्राम ज्ञानटोला, थाना साहेबपुर कमाल, जनपद बेगूसराय, बिहार अपने गैंग के साथ दिल्ली—एनसीआर क्षेत्र में छिपा हुआ है। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य, एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम को विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बिहार राज्य का रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी डब्लू यादव उपरोक्त, अपने गैंग के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड क्षेत्र में लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है तथा यह अपराधी बिहार में हत्या, अपहरण, डकैती, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है और अपहरण के साथ हत्या के अभियोग में वांछित चल रहा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए एस0टी0एफ0 नोएडा, बिहार पुलिस की टीम, थाना सिम्भावली की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सिम्भावली से हरोडा रोड से रतुपुरा जाने वाले मार्ग पर बड्डा नहर पुल के चौराहा के पास पहॅुच कर चैकिंग प्रारम्भ की गयी तो उसी दौरान एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति सिम्भावली की ओर से आते हुए दिखाई दिये, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवारों ने तेजी से मोटर साइकिल आगे बढाते हुए एसटीएफ व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने लगे। तत्पश्चात एसटीएफ टीम द्वारा साहस, संयम एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ संतुलित एवं नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी तथा एक बदमाश फायरिंग करते हुए व अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। घायल बदमाश को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल उपचार हेतु सी0एच0सी0, सिखेडा ले जाया गया, जहॉ से उसको देवनन्दीनी हॉस्पिटल हापुड रेफर किया गया जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक बदमाश की शिनाख्त डब्लू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव निवासी ग्राम ज्ञानटोला, थाना साहेबपुर कमाल, जनपद बेगूसराय, बिहार के रूप में हुई। मौके से भागे बदमाश की तलाश जारी है।

मृतक बदमाश डब्लू यादव (उम्र लगभग 45 साल) की अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि यह अपराधी बिहार एवं आसपास के क्षेत्र का कुख्यात गैंगस्टर अपराधी है जिसका बिहार क्षेत्र में एक रजिस्टर्ड गैंग है, जिसका गैग नम्बर— ए—121 है। इस अपराधी के द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी जैसी कई सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम दिया गया। मृतक बदमाश डब्लू यादव द्वारा की गयी घटनाओं में निम्न घटनाऐं प्रमुख रूप से हैं—

1– दिनांक 23–01–2010 को मृतक अभियुक्त डब्लू यादव ने अपने साथियों के साथ मिकलर कन्हैया कुमार पुत्र राम कल्याण सिंह निवासी कनौसी थाना गढपुरा, जनपद बेगूसराय के साथ मारपीट कर कैश लूट की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कमालपुर साहेब बेगूसराय पर मु0अ0स0 10/10 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है।

2– दिनांक 23–06–2013 को अभियुक्त डब्लू यादव द्वारा राहुल कुमार निवाासी ग्राम ज्ञानटील साहेबपुर कमाल के साथ मारपीट कर बन्दूक की नोक पर रंगदारी वसूली थी, जिसके सम्बन्ध में थाना साहबेपुर कमाल बेगूसराय पर मु0अ0स0 118/13 धारा 341/323/384/504/34 भादवि एंव 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

3– दिनांक 21–12–2014 को अभियुक्त डब्लू यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर योगेन्द्र यादव उर्फ मंगी यादव के ऊपर जान से मारने की नियत से गोली चलायी थी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना साहेबपुर कमाल बिहार पर मु0अ0स0 367/14 धारा 341/307/387/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

4– वर्ष 2015 में अभियुक्त डब्लू यादव द्वारा अपने गैंग के साथ मिलकर रूपेश कुमार पुत्र स्व0 कैलाश यादव निवासी ग्राम ज्ञानटोला थाना साहेबपुर कमाल से बेगूसराय क्षेत्र में ईट, भटटा चलाने की एवज मे बन्दूक की नोक पर 02 लाख रूपये की रंगदारी वसूली गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना साहेबपुर कमाल बिहार पर मु0अ0स0 397/15 धारा 147/148/149/504/506/386//387 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

5– अभियुक्त डब्लू यादव द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बलिया की कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने के कारण वर्ष 2017 में महेन्द्र यादव नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना साहेबपुर कमाल बिहार पर मु0अ0स0 63/17 धारा 302/34/120बी भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

6– दिनांक 24–05–2025 को इस अपराधी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर बेगूसराय के हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम पाटी) के प्रखंड अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार उर्फ राकेश कदम का अपहरण कर दियारा क्षेत्र में ले जाकर हत्या कर दी गयी और शव को बालू के अन्दर दियारा क्षेत्र में गाड़ दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना साहेबपुर कमाल पर मु0अ0स0 149/25 धारा 103(1) 238 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत है। इसी अभियोग में इस अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक बेगूसराय के स्तर से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित हो रखा था।

मृतक बदमाश डब्लू यादव की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। मृतक अभियुक्त डब्लू यादव, उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक की गई छानबीन से निम्नवत्

अपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ हैः–

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	32 / 06	414 / 406 भादवि	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
2	63 / 06	392 भादवि	बलिया	बेगूसराय
3	90 / 08	147 / 148 / 149 / 341 / 504 / 323 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
4	134 / 08	147 / 148 / 149 / 324 / 307 / 504 भादवि	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
5	149 / 08	25(1–बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
6	150 / 08	25(1–बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
7	213 / 09	341 / 307 / 34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
8	10 / 10	395 / 412 भादवि	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
9	12 / 10	25(1–बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
10	03 / 11	147 / 148 / 149 / 341 / 307 / 586 / 504 / 506 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	मुफसिल मुंगेर	बेगूसराय
11	51 / 11	452 / 342 / 323 / 307 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
12	138 / 11	452 / 362 / 307 / 323 भादपि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
13	162 / 11	25(1(बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
14	118 / 13	341 / 323 / 354 / 504 / 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
15	133 / 13	307 / 504 / 348 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
16	156 / 13	25(1(बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
17	185 / 13	348 / 586 / 506 भादवि	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
18	367 / 14	341 / 324 / 307 / 34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
19	397 / 15	147 / 148 / 149 / 504 / 506 / 386 / 387 / भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
20	416 / 16	25(1(बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
21	63 / 17	302 / 120बी / 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
22	101 / 22	341 / 323 / 506 / 34 भादवि	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
23	227 / 23	25(1–बी)ए / 26 / 27 / 35 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
24	149 / 25	103(1) 238 बी0एन0एस0	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
25	243 / 25	109, 317(2) बी0एन0एस0 व 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट	सिम्भावली	हापुड

उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ पर मु0अ0सं0 243 / 2025 धारा 109, 317(2) बी0एन0एस0 व 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट लखनऊ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 540 ग्राम मारफीन(अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 54 लाख रूपये), 01 अदद मोबाइल फोन व 1284/– रूपया नगद बरामद ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, लखनऊ के मार्ग दर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट लखनऊ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय सक्रिय तस्कर 1. अरशद पुत्र कमरुद्दीन पता मोहल्ला महुआबाग निकट हेड पोस्ट आफिस, कोतवाली गाजीपुर उ0प्र0 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 540 ग्राम मारफीन (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत मूल्य लगभग 54 लाख), 01 अदद मोबाइल फोन व 1284/– रूपये नगद बरामद किया गया, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर मु0अ0सं0–566/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट 1985 मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही की गई ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बरामद पदार्थ मारफीन है जिसे मेरे द्वारा बेचकर भारी मात्रा में मुनाफा कमाया जाता है कि आप लोगों नें पकड़ लिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1–अरशद पुत्र कमरुद्दीन पता मोहल्ला महुआबाग निकट हेड पोस्ट आफिस, कोतवाली गाजीपुर उ0प्र0।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–

दिनांक–27.07.2025, समय–22.45 बजे स्थान–मुहआबाग स्थित निहाल का घर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

बरामदगी का विवरण

1. 540 ग्राम मारफीन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 54 लाख रूपये)
2. 01 अदद मोबाइल फोन
3. 1284/ रूपया नगद ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण–ए0एन0टी0एफ0 आपरेशनल यूनिट लखनऊ

1– निरीक्षक दर्शन यादव

2– हे0का0 संगम पटेल

3– हे0का0 दिनेश सिंह

4– हे0का0 मो0 खालिद खान

5– का0 राजन कुमार

6– म0का0 करिश्मा श्रीवास्तव

सहयोगार्थ थाना–कोतवाली, जनपद–गाजीपुर की टीम–

1–उ0नि0 श्री रोहित कुमार द्विवेदी

2–का0 विनोद गौंड

जनपद खीरी/थाना धौरहरा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 15 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/मिस कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.07.2025 को थाना धौरहरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तुलसीरामपुरवा मोड़ के पास से 09 अभियुक्तों 1–सोनू 2–मो0 मुस्तकीम 3–समसुददीन 4–दीपू 5–कुलदीप 6–नीरज 7–अमित कुमार 8–दीपक कुमार 9–अमित को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 15 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/मिस कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.07.2025 को थाना धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धौरहरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना धौरहरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी ग्राम बड़ागांव थाना शारदानगर जनपद खीरी, हालपता हैदरगंज नक्खास थाना बाजारखाला कमिश्नरेट लखनऊ।

2–मो0 मुस्तकीम निवासी ग्राम बड़ागांव थाना शारदानगर जनपद खीरी, हालपता बिल्लौजपुरा थाना बाजारखाला कमिश्नरेट लखनऊ।

3–समसुददीन निवासी ग्राम मझरी कारिंदा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर, हालपता हिदायत नगर थाना कोत0 सदर जनपद खीरी।

4–दीपू निवासी ग्राम कफारा थाना धौरहरा जनपद खीरी।

5–कुलदीप निवासी उर्रा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।

6–नीरज निवासी ग्राम ईदईपुरवा मजरा जमुनिया थाना शारदानगर जनपद खीरी।

7–अमित कुमार निवासी ग्राम कुटी मजरा डिहुआ थाना धौरहरा जनपद खीरी।

8–दीपक कुमार निवासी ग्राम संकल्पा थाना धौरहरा जनपद खीरी।

9–अमित निवासी उर्रा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 15 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/मिस कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना ईकोटेक–प्रथम

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 लैपटॉप, 05 टैबलेट, 13 मोबाइल फोन, 04 घड़ी, 30 एटीएम कार्ड, 01 चेक (01 करोड़ मूल्य का)**
- **01 स्विफ्ट कार आदि बरामद**

दिनांक 27.07.2025 को थाना ईकोटेक–प्रथम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 08 अभियुक्तों 1–विधान डागर 2–सतीश 3–कल्पेश 4–गुरविन्दर 5–गुरदीप 6–कौशिक 7–गणेश 8–तापस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 05 टैबलेट, 13 मोबाइल फोन, 04 घड़ी, 30 एटीएम कार्ड, 01 चेक (01 करोड़ मूल्य का), 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो आनलाइन कम्पनी के माध्यम से लोगो को कम्पनी में निवेश कर जल्दी अमीर बनने का लालच देकर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना ईकोटेक–प्रथम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विधान डागर निवासी ग्राम खुडकासुली, थाना डगवेता, जिला पश्चिमी मिंदनापुर, वेस्ट बंगाल, हालपता एपेक्स गोल्फ एवेन्यु थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा।

2–सतीश निवासी ग्राम मोराबादी, थाना लालपुर, जिला रांची, झारखण्ड, हालपता एपेक्स गोल्फ एवेन्यु थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा।

3–कल्पेश निवासी ग्राम बावलचूनी, थाना झापी, जिला बनसकाठा, गुजरात, हालपता एपेक्स गोल्फ एवेन्यु थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा।

4–गुरविन्दर निवासी ग्राम रुमी, थाना चौकीमान, मल्लाहपुर जिला लुधियाना, हालपता आस्था ग्रीन थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा।

5–गुरदीप निवासी ग्राम तामकोर, थाना मुक्तसर, जिला मुक्तसर पजांब, हालपता आस्था ग्रीन, सेक्टर–4 थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा।

6–कौशिक निवासी ग्राम खडिका सोली, थाना गडबेपता, जिला पश्चिमी मिंदनापुर पश्चिमी बंगाल, हालपता आस्था ग्रीन सेक्टर–4, थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा।

7–गणेश निवासी ग्राम नथना, थाना नन्दीग्राम, जिला पूर्वी मिंदनापुर वेस्ट बंगाल, हालपता एपेक्स गोल्फ एवेन्यु थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा।

8–तापस निवासी ग्राम गोविन्दानगर, थाना धारा, जिला पश्चिमी मिदानपुर वेस्ट बंगाल, हालपता एपेक्स गोल्फ एवेन्यु थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा।

बरामदगी

1–10 लैपटॉप, 05 टैबलेट, 13 मोबाइल फोन, 04 घड़ी, 30 एटीएम कार्ड, 01 चेक (01 करोड़ मूल्य का)।

2–01 स्विफ्ट कार आदि।

जनपद श्रावस्ती/नवीन मार्डन पुलिस थाना श्रावस्ती

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त**
- **10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 27.07.2025 को नवीन मार्डन पुलिस थाना श्रावस्ती व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वीरपुर बलरामपुर रोड स्थित पथरहवा दाखिला तिलकपुर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–सुखेदव 2–विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में नवीन मार्डन पुलिस थाना श्रावास्ती द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुखेदव निवासी पनहिया बरांव थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर।

2—विजय कुमार निवासी ग्राम उदईपुर चितईपुर थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1—10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—02 जीवित कारतूस।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण एवं पुर्जे ।

4—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना को0पडरौना

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 96 लाख रूपये कीमत के 25 बण्डल नकली तम्बाकू व सिगरेट**
- **लगभग 14 लाख 20 हजार रूपये के 04 बण्डल नकली मोबाइल डिस्प्ले ग्लास**
- **01 कन्टेनर ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 27/28.07.2025 को थाना को0पडरौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौकी बांसी के पास से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—राकेश 2—बबलू 3—रौनक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 96 लाख रूपये कीमत के 25 बण्डल नकली तम्बाकू व सिगरेट, लगभग 14 लाख 20 हजार रूपये के 04 बण्डल नकली मोबाइल डिस्प्ले ग्लास, 01 कन्टेनर ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना को0पडरौना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राकेश निवासी ग्राम महुरा प्रकाशपुर थाना धीना जनपद चन्दौली।

2—बबलू निवासी ग्राम अहिरौली थाना कुछिला जनपद कैमूर भभुआ बिहार।

3—रौनक निवासी ग्राम रामगढ़वा थाना रामगढ़वा जनपद मोतीहारी बिहार।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 96 लाख रूपये कीमत के 25 बण्डल नकली तम्बाकू व सिगरेट।

2–लगभग 14 लाख 20 हजार रूपये के 04 बण्डल नकली मोबाइल डिस्प्ले ग्लास।

3–01 कन्टेनर ट्रक आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना पड़री

• 04 अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 74 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा

• 10 हजार 600 रूपये नगद

• 01 पीली धातु चैन, 07 मोबाइल फोन

• 01 डिजायर कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 27.07.2025 को थाना पड़री व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मोहनपुर भवरख हाइवे के पास से 04 अभियुक्तों 1–दीपक कुमार 2–ओम प्रकाश 3–राजेश कुमार 4–संदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 74 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा, 10 हजार 600 रूपये नगद, 01 पीली धातु चैन, 07 मोबाइल फोन, 01 डिजायर कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पड़री पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दीपक कुमार निवासी अकोढ़ी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

2–ओम प्रकाश निवासी ग्राम कांगापुर थाना हड़िया कमिश्नरेट प्रयागराज।

3–राजेश कुमार निवासी रानीबारी थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

4–संदीप निवासी कोटवा थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 74 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

2–10 हजार 600 रूपये नगद।

3–01 पीली धातु चैन, 07 मोबाइल फोन।

4–01 डिजायर कार, 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद चन्दौली/थाना कंदवा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कुन्तल 27 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 28.07.2025 को थाना कंदवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरहनी बैरियर के पास से 02 अभियुक्तों 1—अर्जुन कुमार 2—चन्दन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कुन्तल 27 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कंदवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अर्जुन कुमार निवासी श्रीटोला थाना नवादा जनपद भोजपुर बिहार।

2—चन्दन कुमार निवासी अबरपुल थाना नगर जनपद भोजपुर बिहार।

बरामदगी

1—01 कुन्तल 27 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—01 चार पहिया वाहन।

➢ **कमिश्नरेट गाजियाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने अभियुक्त राजीव कुमार चौहान पुत्र हरीश कुमार निवासी मं0नं0—डी—143 गौर होम्स सोसाइटी गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद/फ्लैट नं0—201 के0एम0 रेजीडेन्सी राजनगर एक्सटेंशन नन्दग्राम, गाजियाबाद स्थायी पता मं0नं0—02 गली नं0—1 ग्राम व पोस्ट कांगडी गुरू सीताराम की कुटिया के पास थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड व 02 अभियुक्ता द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 10 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना हयातनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 03 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना हयातनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश को कठोर आजीवन कारावास व 01 लाख 03 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना गिलौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 57 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना गिलौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/354ए/457 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील कुमार को सश्रम आजीवन कारावास व 57 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————